न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
19.08.2025	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 27.06.2025 धारा 151 सी.पी.सी. के तहत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 19.08.2025 को आदेश हेतु नियत है। वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रतिवादी सं0–01 के पिता के नाम से वादग्रस्त जायदाद की जमाबंदी खोलने हेतु चलाये गये प्रोसिडिंग का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उक्त स्थिति में वादी द्वारा सूचना के अधिकार के अधीन पूछने पर जो सूचनायें वादी को मिली वह आवेदन में वर्णित है जो है– *मौजा–लौरिया, थाना नं0–432 के जमाबंदी न0–279 राम लखन हलुआई के नाम से है जिसका खाता न0–168 खेसरा नं0–1408 रकवा 0–11–16 है। मौजा–लौरिया, थाना नं0–432 के जमाबंदी न0–279 किस आधार पर कायम हुआ है, इसका कोई विवरण अंकित नहीं है। मौजा–लौरिया थाना नं0–432 मे जमाबंदी नं0–279 वर्ष 1961–62 में खोली गयी है जिस पर केस नं0 अंकित नहीं है। जमाबंदी बैनामा, बक्सिसनामा या बंटवारा से खुला है, जमाबंदी पंजी पर विवरण अंकित नहीं है।* तत्कालीन अंचल अधिकारी से मौखिक जानकारी मिली कि एक बुझरत के रजिस्टर में वादी के दादा के नाम से जमाबंदी चलने के बात लिखी थी, जिसे लाल स्याही वाली कलम से वादी के दादा का नाम (रामधारी राम) काटकर प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई का नाम लाल स्याही वाली कलम से ही लिख दिया गया है और	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई के नाम से अवैध रूप से लगान रसीद कटने लगा और अभी तक कटते आया है। उस लाल रंग की स्याही वाली कलम से वादी के दादा का नाम काटकर प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई का नाम लिखे हुए पृष्ठ की छायाप्रति मिली, जो इस आवेदन का अनुलग्नक–1 है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि लौरिया अंचल से इस आवेदन क अनुलग्नक–1 की मूल प्रति मांगने की कृपा की जाए। प्रतिवादीगण की तरफ से वादी के आवेदन दिनांक 27.06.2025 का प्रत्युत्तर दिनांक 23.07.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है क्योंकि संबंधित विचारण न्यायालय को किसी भी कागजात जो उसके अपने अभिलेख से संबंधित हो या दूसरे न्यायालय से स्वयं या वाद में किसी भी पक्षकार के आवेदन पर तलब करने का अधिकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 (संशोधित अधिनियम, 2002) के आदेश 13 नियम 10 में निहित है। वाद के पक्षकार को उपरोक्त नियम के अलावा अन्य विभाग यानि भारतीय डाकघर के किसी भी शाखा से अभिलेख मांगने का अधिकार सिविल कोर्ट रूल्स, 1965 के नियम 67 में निहित है जो निम्न प्रकार है– “Rules-67- A summons for production of any of the records of a post office or a certified extract from or copy of any of any such records shall be addressed to the post master.” राजेन्द्र सिंह बनाम भोला बाई व ज्वाला सिंह बनाम महन्थ एलीआस में भी वाद के पक्षकार ने	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	आदेश 13 नियम 10 के अंतगर्त आवेदन देकर राजस्व विभाग से मूल रेकार्ड की मांग की थी और विचारण न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि आवेदक द्वारा मंगाये जाने वाले अभिलेख लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। इसलिए उन्हें मांगे गये कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर दाखिल करनी चाहिए और इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। दिनांक 27.06.2025 को वादी की तरफ से दाखिल बुझारत रजिस्टर की प्रति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट है कि उस रजिस्टर में अंकित भाषा 'कैथी'' में दर्ज है और इससे जाहिर नहीं हो रहा है कि उसमें रामलखन हलवाई या रामजी राम दर्ज है। साथ ही, उस कागजात में कोई अधिलेखन या कथिन नाम में कटिंग नहीं है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार कोई भी व्यक्ति गोपनीय दस्तावेज को छोड़कर किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वादी के अनुसार तत्कालिन अंचलाधिकारी ने उपरोक्त जानकारी कथित दिनांक 16.11.2011 या 16.12.2011 क पहले दी या बाद में दी इसका जिक्र आवेदन में नहीं हैं इससे स्पष्ट है कि वादी की मंशा न्यायालय को धोखा देकर अपने आवेदन पर आदेश प्राप्त करने की है। वादी ने अपने आवेदन की कंडिका–3 में कथित बुझारत रजिस्टर की प्रति कहाँ से प्राप्त हुआ इसका जिक्र नहीं किया है। अगर उन्हें उपरोक्त कागजात अंचल से प्राप्त हुआ है तो बुझारत रजिस्टर की प्रमाणित प्रति लौरिया अचल से प्राप्त करके	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	न्यायालय में दाखिल करने की जिम्मेदारी वादी पर है। उपरोक्त प्रतिपादित कानून व तथ्यों के आलोक में वादी का आवेदन मंजूर करने लायक नहीं है। साथ ही, इस तरह का आवेदन आदेश 13 सी0पी0सी0 के अनुसार 'ईसु' गठन होने के बाद दिया जाता है जबकि अभिलेख से जाहिर होता है कि केश की कार्यवाही प्रतिवादी सं0–10 की उपस्थिति के लिए नियम है। इस आवेदन के साथ केश लॉं दाखिल किया जा रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक 27.06.2025 को न्यायहित में खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा यह आवेदन लाया गया है और वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया गया है कि लौरिया अंचल से सूचना के अधिकार के तहत सूचना मांगी गई थी, जिसमें अंचल अधिकारी लौरिया द्वारा सूचना दी गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता आगे कहते है कि तत्कालीन अंचल अधिकारी से जानकारी मिली कि एक बुझारत के रजिस्टर में वादी के दादा के नाम से जमाबंदी चलने की बात लिखी थी, जिसे लाल स्याही वाली कलम से वादी के दादा का नाम काटकर प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई का नाम लाल स्याही वाली कलम से ही लिख दिया गया है और प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई के नाम से अवैध रूप से लगान रसीद कटने लगी और अभी तक कटती आई है। उस लाल रंग की स्याही वाली कलम से वादी के दादा का नाम (रामधारी राम)	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	काटकर प्रतिवादी सं0–01 रामजी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई का नाम लिखे हुए पृष्ठ की छायाप्रति मिली जो आवेदन के साथ संलग्न है। अतः लौरिया अंचल से इस आवेदन के अनुलग्नक–1 की मूल प्रति मंगाने की कृपा की जाए। दूसरी ओर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने प्रतिउत्तर में निवेदन किया गया है कि धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत दिया गया आवेदन कानून की दृष्टि से स्वीकार्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि संबंधित विचारण न्यायालय को किसी भी कागजात जो उसके अपने अभिलेख से संबंधित हो या दूसरे न्यायालय से स्वयं या वाद में किसी भी पक्षकार के आवेदन पर तलब करने का अधिकार व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908, संशोधित अधिनियम, 2002, के आदेश 13 नियम 10 में निहित है। वादी ने अपने आवेदन की कंडिका 3 में यह बिल्कुल झूठा ब्यान किया है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी ने मौखिक रूप से आवेदक लालबाबू प्रसाद को बताया कि बुझारत रजिस्टर में आपके दादा राजमी राम का नाम काटकर लाल स्याही से प्रतिवादी सं0–01राजमी हलवाई के पिता रामलखन हलवाई दर्ज कर दिया गया है। सच्चाई यह है कि सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार कोई भी व्यक्ति गोपणीय दस्तावेज को छोड़कर किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वादी ने अपने आवेदन की कंडिका–3 में कथित बुझारत रजिस्टर की प्रति कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसका जिक्र नहीं किया है। अगर उन्हें उपरोक्त कागजात अंचल से प्राप्त हुआ है तो बुझारत रजिस्टर की प्रमाणित प्रति लौरिया अंचल से प्राप्त करके	

<u>न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–50/2017</u>

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 19.08.2025	न्यायालय में दाखिल करने की जिम्मेदारी वादी पर है। साथ ही, इस तरह का आवेदन आदेश 13 सी0पी0सी0 के अनुसार ईसु गठन होने के बाद दिया जाता है जबकि अभिलेख से जाहिर होगा कि केस की कार्यवाही प्रतिवादी सं0–10 की उपस्थिति के लिए नियत है। अतः वादी का आवेदन दिनांक 27.06.2025 को न्यायहीत में खारिज करने की कृपा की जाए। अभिलेख के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि वाद में एक वादी और कुल दस प्रतिवादी है। प्रतिवादी सं0–01 से 09 वाद में दिनांक 30.06.2017 को शक्ति पत्र के साथ न्यायालय में हाजीर हुए और दिनांक 03.08.2017 को अपना संयुक्त ब्यान तहरीरी दाखिल किये जिसे उसी दिन ग्रहण कर लिया गया। शेष एक प्रतिवादी, प्रतिवादी सं0–10 मालिक ठाकुर उपस्थिति नहीं हुए और उनके उपस्थिति हेतु अभिलेख दिनांक 24.08.2007 को निश्चित की गई तथा प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन का आदेश किया गया जो कार्यालय द्वारा दिनांक 10.08.2017 को निर्गत किया गया। उसके वाद से अभिलेख प्रतिवादी सं0–10 की उपस्थिति हेतु अभी तक चला आ रहा है लेकिन वादी द्वारा प्रतिवादी 10 की उपस्थिति हेतु कोई कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। अभिलेख वर्तमान में प्रतिवादी सं0–10 की उपस्थिति हेतु चल रहा है। वादी द्वारा अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वादी क्यो उस कागजात को मंगवाना चाहता है जबकि अभिलेख उपस्थिति हेतु चल रहा है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।	

न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–50/2017

लालबाबू प्रसाद.....वादी

बनाम

रामजी हलुवाई एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार **19.08.2025**	वाद दिनांक 09.09.2025 को सुनवाई हेतु नियत किया जाता है। (लेखापित) अवर न्यायाधीश–1 नरकटियागंज	